# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-207RAAJodhpur2023-108RTA223 Bahadur Khan Vs Jila Collector etc

बहादुर खां पुत्र मेहरदीन, जाति मुसलमान, निवासी- ननेउ, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

**अपीलाण्ट ...**

ब

ना

म

1. श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।
3. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग फलोदी, जिला जोधपुर।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 मई 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप राजस्व मूल वाद संख्या 105/2022 बहादुर खां बनाम जिला कलक्टर इत्यादि**

-------

**उपस्थित-**

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.

## नि र्ण य

**दिनांक : 11 जुलाई 2023**

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 105/2022 बहादुर खां बनाम जिला कलक्टर इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 मई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 13 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरुस्ती का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 74 ग्राम सिवांदी तहसील बाप के संबंध में रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद व जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की तथा न ही उभय पक्षकारान् की साक्ष्य पत्रावली पर ली गई व गवाहन के बयान भी दर्ज नहीं किये गये, इस तरह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सीपीसी के प्रावधानों की पालना किये बगैर ही प्रकरण का निस्तारण किया है जो निर्णय जल्दबाजी में पारित किया गया होने के कारण प्रथमदृष्टया ही अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात जिससे स्पष्ट तौर पर आया हुआ है कि खसरा नं. 74 की जहां तरमीम है, वहां मौके पर सड़क नहीं होकर मौके पर सड़क खसरा नं. 80 में बनी हुई है, जिससे वादी द्वारा वाद को इस हद तक कि खसरा नं. 74 की तरमीम मौके अनुसार की जानी आवश्यक थी, के बिंदु को अपने पक्ष में साबित किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जल्दबाजी में पारित किया गया है, जबकि खसरा नं. 74 व 80 की तरमीम मौके अनुसार की जाकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाना आवश्यक था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को गलत रूप से खारिज कर दिया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। खसरा नं. 74 वं 80 की तरमीम मौके अनुसार किये जाने पर वादी व प्रत्यर्थीगण को कोई नुकसान व किसी भी अधिनियम की अवहेलना नहीं होती है, जिससे दोनो पक्षकारों को न्याय मिलने की पुरी संभावना उत्पन्न होती है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की गलत व्याख्या करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि धारा 16 व खसरा नं. 74 की तरमीम को मौके अनुसार शुद्ध नही किया जाता है तो मौके से सड़क जो कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में निर्मित की हुई है, को प्रत्यर्थीगण के खर्चे पर हटायी जानी न्यायहित में आवश्यक है तथा सड़क का निर्माण मूल स्थान पर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यो व कानून की अनदेखी करते हुए आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 मई 2023 को खारिज फरमाया जावे तथा मामले विधिनुसार निस्तारण किये जाने के निर्देश फरमावे। विकल्प में अपीलार्थी के वाद को स्वीकार किया जाकर खसरा नं. 74 व 80 की तरमीम मौके अनुसार शुद्ध व संशोधित किये जाने का निर्णय पारित फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि खसरा नं. 74 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है जो वक्त सेटलमेंट से राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। अपीलांट खसरा नं. 74 की भूमि में खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 74 को अवरूद्ध किये जाने पर तहसीलदार बाप द्वारा अपीलांट के विरूद्ध धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बाप के जवाब एवं जमाबंदी संवतः 2078-2081 ग्राम सिवांदी तहसील बाप के खाता संख्या 164 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 162 के मुताबिक भूमि खसरा नं. 74 रकबा 2.7519 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा खसरा नं. 74 गैर मुमकिन सड़क को अवरूद्ध किये जाने पर उसके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाकर उसे अतिक्रमी घोषित किया गया है तथा उसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई है।

अपीलांट द्वारा वक्त सेटलमेंट से राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज भूमि पर अपने दावे में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा नं. 74 की भूमि को प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि मानते हुए वादी को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी जाती है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले में तनकीयात कायम नहीं की गई। प्रस्तुत अभिलेख से ही मामला स्पष्ट होने से अदालत हाजा की राय में हस्तगत मामले में तनकीयात कायमी की आवश्यकता ही नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रदान करते हुए राजस्व रेकर्ड अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से हस्तगत निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 मई 2023 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11-7-23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर